कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (होफ) राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक/एफ14(Rail)/2016/एफसीए/प्रमुवसं/2366 दिनांक: 25.7.2017

निमित्त : अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य क्षैत्र पंचम तल, केन्द्रीय भवन सेक्टर एच
अलीगंज, लखनउ।

विषय :– उदयपुर – अहमदाबाद रेलवे लाइन के गेज परिवर्तन बाबत 35.7823 है0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन के क्रम में Online Proposal No. FP/RJ/Rail/20470/2016
संदर्भ :– आपका पत्र क्रमांक 8B/Raj/07/15/2017/FC/153 दिनांक 18.07.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रस्ताव में मुख्य वन संरक्षक/उप वन संरक्षक /यूजर ऐजेन्सी से प्राप्त सूचना के आधार पर बिन्दुवार पालना निम्नानुसार प्रस्तुत है।

क्रमांक	आक्षेप का विवरण	पालना
1	प्रकरण में प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वृक्षारोपण स्थल की KML file की सी0डी0 प्रस्तुत नही की गई है।	यूजर ऐजेन्सी द्वारा प्रस्तावित प्रत्यावर्तित वन भूमि की एवं क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण हेतु स्थल की KML file की सी0डी0 संलग्न कर दी गई है।
2	प्रस्तावित वन भूमि की KML file खुल नही रही है जिससे DSS किया जाना संभव नही हो पा रहा है।	प्रस्तावित वन भूमि की KML file ऑनलाईन प्रस्ताव के पार्ट । के बिन्दु संख्या C-b(ii) में अपलोड कर दी गई है।
3	प्रस्तावित प्रत्यावर्तित वन भूमि एवं क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण हेतु गैर वन भूमि का भूसंदर्भित मानचित्र प्रस्तुत नही किया गया है।	प्रस्तावित प्रत्यावर्तित वन भूमि का भूसंदर्भित मानचित्र ऑनलाईन प्रस्ताव के पार्ट । के बिन्दु संख्या C-(iii) में एवं क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण हेतु गैर वन भूमि का भूसंदर्भित मानचित्र पार्ट । के बिन्दु संख्या C-(iv) में प्रस्तुत कर दिया गया है हार्ड प्रति संलग्न है।
4	प्रस्तावित वन भूमि एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित वन के Geo Coordinates नही दिये गये है एवं टोपोशीट मानक (Scale 1:50000) अनुसार नही प्रस्तुत की गई है।	प्रस्तावित वन भूमि एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित वन के Geo Coordinates हार्ड प्रति (पेज 43 से 49 एवं 124) पर संलग्न है। टोपोशीट मानक (Scale 1:50000) अनुसार ऑनलाईन प्रस्ताव के पार्ट । के बिन्दु संख्या C-(iii) & L में संलग्न कर दी गई है हार्ड प्रति संलग्न है।
5	प्रस्ताव में प्रस्तुत किया गया वनाधिकार अधिनियम 2006 प्रमाण पत्र बिना जिलाधिकारी, उदयपुर की मोहर की छायांप्रति मे प्रस्तुत किया गया है।	प्रस्ताव में प्रस्तुत किया गया वनाधिकार अधिनियम 2006 प्रमाण पत्र जिलाधिकारी, उदयपुर की मोहर के साथ ऑनलाईन प्रस्ताव के पार्ट । के बिन्दु संख्या K में संलग्न कर दिया गया है। हार्ड प्रति पेज संख्या 119 पर संलग्न है।
6	प्रस्ताव में अधिकतर दस्तावेज/प्रमाण पत्र छांया प्रति में प्रस्तुत किये गये है।	उपलब्ध सभी प्रमाण पत्र मूल या प्रमाणित कर संलग्न किये गये है।
7	क्षतिपूरक वृक्षारोपण (गैर वन भूमि) की टोपोशीट बिना तालिका एवं शीर्षक के संलग्न की गई है।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण (गैर वन भूमि) की टोपोशीट तालिका एवं शीर्षक के संलग्न की गई है। हार्ड प्रति पेज संख्या 123 पर उपलब्ध है।

8	एन0पी0वी0 की गणना गलत दर से प्रस्तुत की गई	एन0पी0वी0 की गणना उदयपुर उत्तर द्वारा प्रेषित गणना 626000.00 के स्थान पर 803000.00 से ही वसूल की जावेगी इस हेतु यूजर ऐजेन्सी की अन्डरटेकिंग संलग्न कर दी गई है।
9	प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रमाण पत्र प्राधिकृत अधिकारी के नाम पद एवं दिनांक मुहर के बिना प्रस्तुत किये गये है।	प्रस्ताव में सभी दसतावेज/प्रमाण पत्र प्राधिकृत अधिकारी के नाम पद एवं दिनांक मुहर के साथ संलग्न किये गये है।

संलग्न : हार्ड प्रति 1 किता

भवदीय

(ए0 के0 सिंह)
अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक
सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी, एफ0सी0ए0
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक/एफ/सम
दिनांक/

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवयश्क कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. शासन सचिव (वन) शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर।
3. उप वन संरक्षक, उदयपुर/उदयपुर उत्तर
4. **Dy. Chief Engineer, Construction I , NWR Udaipur**

Sd.
अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक
सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी, एफ0सी0ए0
राजस्थान, जयपुर।